झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची

पंचम् संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा

परीक्षार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण अनुदेश

- परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन/ पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन/ पेजर्स सहित प्रतिबन्धित वस्तुएँ यथा : पर्स, बैग, पाठ्य पुस्तिकाएं, खाद्य सामग्री, पानी की बोतल एवं हथियार इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित दंडात्मक/ अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
- परीक्षा भवन में प्रवेश के लिये परीक्षार्थी प्रवेश पत्र एवं संबंधित परीक्षा तिथि का पालीवार उपस्थिति पत्रक अपने साथ लाएँ जिनके अभाव में उसे परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि के सम्बन्ध में यदि आयोग द्वारा केन्द्राधीक्षक/वीक्षक के माध्यम से कोई अधिकारिक सूचना नहीं दी जाती है तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में उल्लेखानुसार ही प्रश्नों को हल करें।
- परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के तीन दिवस के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/ शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची को प्रस्तुत कर दें। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
- परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस-पास के स्थानों को भलीभांति देख लें कि वहां कोई पुस्तक, पर्चा अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि उसके साथ अथवा आस-पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह वीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/ अन्य परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न अपने पत्रों की नकल करने देगा, न कोई पत्र लेगा और न लेने का प्रयास करेगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को संगत नियमों/अधिनियमों आदि के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
- परीक्षार्थी को आयोग/ केन्द्राधीक्षक/ वीक्षक/ आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/ केन्द्राधीक्षक द्वारा जो भी उचित समझी जाय, कार्रवाई की जा सकती है।
- परीक्षार्थी OMR युक्त उत्तर-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर वांछित सूचनाओं की यथा स्थान पूर्त्ति करें। मुख पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के आंतरिक पृष्ठों पर केवल प्रश्नोत्तर ही लिखें। आंतरिक पृष्ठों पर अपना नाम, रोल नम्बर अथवा अन्य कोई पहचान चिन्ह अंकित नहीं करें, क्योंकि उत्तर-पुस्तिका में प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त असम्बन्धित शब्द/ वाक्य लिखने पर परीक्षार्थी को आयोग द्वारा दण्डित किया जा सकता है।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।